

प्ररूप-ख

[देखिए नियम 4 (4)(i)]

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्टि नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

<p>सेवा में</p> <p>पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगर निगमवार्ड संख्या.....</p> <p>या</p> <p>उपायुक्त.....</p> <p>महोदय,</p> <p>मैं उपर्युक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :</p> <p>मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:</p>		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
<p>1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी का नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड नं० की क्रम संख्या..... पर अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगर निगम की हद में नहीं है।</p> <p>2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी का नाम वार्ड नं० की जगह वार्ड नं०में शामिल किया जाए।</p> <p>3. घोषणा: मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।</p>		
<p>स्थान:</p> <p>दिनांक:</p> <p>दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवेदन का पूरा पता</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>मोबाईल नं०.....</p>		

टिप्पण:- कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/कुमारी..... के नाम को *सम्मिलित किए जाने पर/*हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है /*नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने या नामंजूर करने [हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (1994 का 16) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

.....
.....
.....

स्थान:		
तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

प्ररूप ख में श्री/श्रीमती/कुमारी पता..... से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या में प्रविष्टि किया गया है ।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है ।

दिनांक:-

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना
(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो नगर निगम का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक को बजे की जायेगी । उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं ।

दिनांक:-

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता
.....